

आवश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - पं.नि. 30-81/2021 - 589

प्रेषक,

उप सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

गोपालगंज, रोहतास एवं अरवल।

पटना, दिनांक - 16.2.21

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 - मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।

प्रसंग : जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), गोपालगंज का पत्रांक 418 दिनांक 13.02.2021, रोहतास का पत्रांक 309 दिनांक 13.02.2021 एवं अरवल का पत्रांक 180 दिनांक 10.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में त्वरित निष्पादन हेतु जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में छूटे हुये मतदाताओं की संख्या को शहरी क्षेत्र के मतदाता के रूप में चिह्नित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन की जाँच अपने स्तर से कराते हुए पुनः प्रेषित करने की कृपा की जाय।

विदित है कि मतदाता सूची का निर्माण हेतु बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम - 19 के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) ही सक्षम हैं; अतः संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) एवं अन्य पदाधिकारियों को निदेशित की जाय कि आयोग से पत्राचार जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के माध्यम से ही की जाय।

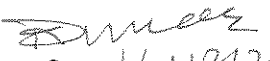
विश्वासभाजन,


उपसचिव।

ज्ञापांक - पं.नि. 30-81/2021 - 589

पटना, दिनांक - 16.2.21

प्रतिलिपि, सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपसचिव। 16/2/21